

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया - गांधीनगर

एसटीपी/ईएचटीपी योजना से सैद्धांतिक रूप से बाहर निकलने की प्रक्रिया

एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयां मौजूदा एफटीपी के खंड 6.17 के अनुसार एसटीपी/ईएचटीपी योजना से बाहर निकल सकती हैं।

एसटीपीआई को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:

- 1 एसटीपी/ईएचटीपी योजना से बाहर निकलने के लिए औपचारिक अनुरोध पत्र, जिसमें बाहर निकलने के कारण बताए गए हों।
- 2 एसटीपी/ईएचटीपी योजना से बाहर निकलने के लिए बोर्ड का प्रस्ताव।
- 3 अनुलग्नक 23-ए और अनुलग्नक-21 के अनुसार स्थापना के बाद से सीए प्रमाणित प्रदर्शन विवरण।
- 4 निम्नलिखित मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करना:
 - अनुमति पत्र और उसके बाद एलओपी अनुमोदनों का नवीनीकरण
 - कानूनी वचनबद्धता (एलयूटी) और पूरक कानूनी वचनबद्धता
 - प्रमाणित पूंजी और स्वदेशी वस्तुओं की सूची।
 - ग्रीन कार्ड।
- 5 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर यह घोषणा बताते हुए कि:-
 - एसटीपीआई द्वारा सैद्धांतिक रूप से निकास अनुमोदन जारी करने के बाद, इकाई सॉफ्टवेक्स प्रमाणीकरण के लिए एसटीपीआई पर जोर नहीं देगी (यदि अस्वीकार कर दिया गया/ जमा नहीं किया गया/ अनुमोदित नहीं किया गया, आदि)
6. निर्धारित प्रारूप में एफटीपी के परिशिष्ट-6K के अनुलग्नक के अनुसार निकास के संबंध में 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर (नोटरीकृत) पर कानूनी अंडर टेकिंग (एलयूटी) (अनुलग्नक-एलयूटी निकास देखें)।

अनुमोदन प्रक्रिया:

उपर्युक्त दस्तावेजों की प्राप्ति पर निम्नलिखित मापदंडों का सत्यापन किया जाएगा:-

- वैधानिक अनुपालन, जैसे एपीआर, क्यूपीआर आदि जमा करना।
- प्रारंभ की तिथि से निर्यात दायित्व/एनएफई स्थिति।
- सॉफ्टवेक्स जमा/प्रमाणन स्थिति।
- सेवा शुल्क बकाया राशि का निपटान, यदि कोई हो।

यदि उपरोक्त पैरामीटर सही/पूरे पाए जाते हैं, तो योजना से सैद्धांतिक रूप से बाहर निकलने की अनुमति जारी की जाएगी।

सैद्धांतिक रूप से निकास अनुमोदन जारी होने के बाद, इकाई को सीमा शुल्क अधिकारियों से संपर्क करना होगा, उनके द्वारा निर्धारित सभी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा और "अदेयता प्रमाणपत्र" प्राप्त करना होगा। एसटीपीआई को "अदेयता प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करने पर, एसटीपी/ईएचटीपी योजना से अंतिम निकास जारी किया जाएगा।

नोट: - यदि इकाई निर्धारित निर्यात दायित्व को पूरा नहीं करती है या एफटीपी के अनुसार कोई गैर-अनुपालन पाया जाता है, तो मामले को न्यायनिर्णयन कार्यवाही के लिए ले जाया जाएगा।

प्रारूप:

- 1 [अनुलग्नक 23-ए \(एसटीपी\)](#)
- 2 [अनुलग्नक 23-ए \(ईएचटीपी\)](#)
- 3 [अनुलग्नक 21](#)
- 4 [अनुलग्नक-एल्यूटी निकास-](#)
- 5 [सॉफ्टवेक्स के संबंध में घोषणा](#)

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए:

हमें मेल करें: Gnr.Exim@stpi.in

संपर्क करें 079-66748531, 32